रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062021-227730
CG-DL-E-19062021-227730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2237] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 2237] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून,2021

का.आ. 2409(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 377(अ), तारीख 22 जनवरी, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 22 जनवरी, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था;

और, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों में स्थित श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पवित्र और अक्षत सात पहाड़ियां हैं जहां विश्व प्रसिद्ध हिंदू देवता भगवान वेंकटेश्वर वास करते हैं। अभयारण्य के संरक्षित वन जो पूर्वी घाटों के भाग हैं ये अद्वितीय जीवजन्तु और वनस्पतियां हैं। अत्यधिक संकटापन्न वनस्पति जैसे साइकस बेडडोमी और अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजातियां जैसे पेटरोकार्पस सैंटलिनस प्रचुर मात्रा में बढ़ती रहती हैं। संपूर्ण अभयारण्य शुष्क पतझड़ी लाल चंदन का एक निर्जन बड़ा वन खंड है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और कुड्डापाह जिलों में स्वर्णमुखी और पन्ना नदियों का आवाह-क्षेत्र है;

और, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में अनुसूची I, II, III और IV वाले वन्यजीव पाए जाते हैं। रिजर्व के वनों में कुछ अत्यधिक लुप्तप्राय वन्यजीव पशुओं जैसे पिसूरी (शेवरोटेन), भारतीय विशाल गिलहरी (रतुफा इंडिका), तवांगु (लोरिस टार्डिग्रैडस), गोल्डन गेको (गेको बाडेनी), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), बाघ (पैंथेरा टिगरिस), हाथी (एलिफस मैक्सिमस), रीछ (मेलुरसस अरसिनस), बनैला सूअर (सस

स्क्रोफा), चौसींगा मृग (टेट्रासेरस क्वाडरिकोर्निस), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), सांभर हिरण (रूसा यूनिकलर), लघु पुच्छ वानर (मकाका रेडियाटा), नेवला (हर्पेस्टिडे), जंगली कुत्ता (लाइकॉन पिक्टस), काला हिरण (एंटीलोप सर्विकाप्रा), सियार (कैनिस ऑरियस), लोमड़ी (वल्प्स वल्प्स), सिवेट कैट (पैराडॉक्सुरस), मुंजक (मुंटियाकस मुंटजैक), जंगल बिल्ली (फेलिस चौस) इस क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ अन्य पशु हैं। श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में साल, पायथन, मटरमुर्गा, जंगली मुर्गा, तीतर, क्वाइल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, अशी क्राउंड फिंच लार्क, इंडियन रोलर, किंगफिशर और व्हाइट बिल्ड वुडपिकर आदि पाए जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सेशाचलम वनों में पक्षियों की 215 प्रजातियां प्रतिवेदित की गई है। येलो थ्रोटेड बुलबुल, एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के वनों में विद्यमान हैं;

और, कल्याणी, कुमारधारा, पसुपुधारा और पापविनासनम बांध, तिरुपति और तिरुमाला नगरी के प्रमुख पेयजल संसाधन श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य के अंतर्गत स्थित हैं और थोड़ी अवधि के दौरान जंगली पशुओं का स्रोत पेयजल भी हैं। इनके अलावा, रालावुगु, लोथुवांका, मल्लरू, थंबुरु थेरथम वंका, तालाकोनावंका और गुंजाना जो इस अभयारण्य से होते हुए स्वर्णमुखी और पन्ना की सहायक नदियां हैं यहां आरंभ होकर निकलती हैं। उच्च पहाड़ी और गहरी घाटियां और प्राकृतिक झरनों के साथ मुख्य क्षेत्र में विविध वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के साथ घने वन होते हैं। क्षेत्र में प्राकृतिक घासभूमि भी शामिल हैं;

और, क्षेत्र के दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की रक्षा और सुधार करने के लिए, श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य को जी.ओ.एमएस.सं.354 एफ और आरडी (III के लिए) विभाग, तारीख 2 सितंबर, 1985 के माध्यम से घोषित किया गया था और अभयारण्य का कोर क्षेत्र 1989 के दौरान राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जी.ओ.एमएस.सं. 383 ई.एफ.एस एवं टी (III के लिए) विभाग, तारीख 16 अक्तूबर, 1989 को घोषित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना जी.ओ.एमएस.सं.58 ई.एफ.एस एवं टी (III के लिए) विभाग, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अधीन तारीख 13 मई, 1998 को जारी की गई थी। क्षेत्र को श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जी.ओ.एमएस.सं.59 पर्यावरण वानिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी (III के लिए) तारीख 13 मई, 1998 को घोषित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य चित्तूर और कुड्डापाह जिले में 525.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 353.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है;

और, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न दुर्लभ और स्थानिक वनस्पति प्रजातियां जैसे डेलबर्गिया लैटिफोलिया, कोक्लोस्पर्मम रेलीजियासम, डिलिनिया इंडिका, हाइबंथस एनीस्पर्मम, माबा बक्सिफोलिया, कर्कुमा डोमेस्टिका आदि हैं। अभयारण्य की कुछ लुप्तप्राय पौधें प्रजातियों में होमालियम ज़ेलानीकम, बूटिया मोनोस्पर्मा, रहयंचोसिया हयेनाई और टेफ्रोसिया प्रजातियां शामिल हैं। अभयारण्य में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें पेट्रोकार्पस सैंटलिनस, सैंटलम एल्बम, बॉसवेलिया ओवलिफोलिया, पिंपिनेल्ला ट्राइरुपैटेन्सिस, सिजीजियम अल्ट्रनीफोलियम और टर्मिनलिया पैलीड आदि शामिल हैं;

और, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इस अधिसूचना में बाद में पर्यावरण अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले और कुड्डापाह जिले में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (दक्षिणी तरफ विकसित तिरुपति बस्ती के कारण) से 10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा–(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (दक्षिणी तरफ विकसित तिरुपति बस्ती के कारण) से 10 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर है।

(2) श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक और उपाबंध-IIख के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी

पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण—**पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.—**ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट—**जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात—**यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण—**लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां—(**क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण—**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	संबंधित जिला कलक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	नगरपालिका आयुक्त, तिरुपति	सदस्य;
(iii)	क्षेत्रीय अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरुपति	सदस्य;
(iv)	राज्य लोक निर्माण विभाग, तिरुपति के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	प्रभागीय वन अधिकारी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति	सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, तिरुपति	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश–निबंधन—(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय—इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.—इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/37/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

आंध्र प्रदेश राज्य में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	स्टेशन संख्या 1 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन संख्या 4 तक श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.60 से 1.18 किलोमीटर तक की दूरी में पूर्व की ओर जाती है इसके बाद श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 1.18 से 3.64 किलोमीटर तक दूरी में स्टेशन संख्या 8 के उत्तरी दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 3.60 से 0.2 किलोमीटर तक दूरी में पूर्वी दिशा में स्टेशन संख्या 8 से 13 तक आर एफ सीमा के बाहर की ओर जाती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा आर एफ सीमा के साथ-साथ अभयारण्य सीमा से 100 से 200 मीटर तक की दूरी में स्टेशन संख्या 13 से 14 तक दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.2 से 4.7 किलोमीटर तक की दूरी में आर एफ सीमा से होते हुए 0.2 किलोमीटर की दूरी में स्टेशन संख्या 14 से 26 तक दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.30 से 1.6 किलोमीटर तक की दूरी में और आर एफ सीमा से होते हुए 0.3 किलोमीटर से 1.6 किलोमीटर की दूरी में दक्षिणी दिशा में स्टेशन संख्या 26 से 28 तक जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन संख्या 29 से 33 तक श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव

	अभयारण्य सीमा से 0.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की दूरी में आर एफ सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है।
दक्षिण	इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अभयारण्य सीमा से 3 से 10 किलोमीटर की दूरी में पश्चिमी दिशा में आर एफ सीमा के साथ स्टेशन संख्या 33 से 51 तक जाती है और इसके अतिरिक्त अभयारण्य सीमा से 1.5 से 4.8 तक की दूरी में आर.आफ. सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में स्टेशन संख्या 51 से 56 तक जाती है। इसके बाद सीमा आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 56 से 71 तक पश्चिमी दिशा में जाती है जो कि उपयुक्त ग्रामों में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.55 किलोमीटर से 4.8 किलोमीटर तक की दूरी में चेन्नईयागुन्टा ग्राम और काराकाम्बड़ी ग्राम में राजस्व सीमा से सटे है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.340 किलोमीटर (340मीटर) तक की दूरी में उत्तर-पश्चिम दिशा में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 71 से 72 तक जाती है इसके बाद स्टेशन संख्या 72 और स्टेशन संख्या 73 अभयारण्य सीमा से 0.05 किलोमीटर (50 मीटर) में पश्चिमी दिशा में जाती है इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.05 किलोमीटर (50मीटर) से 0.790 किलोमीटर (790 मीटर) तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में स्टेशन संख्या 73 से 74 तक जाती है और स्टेशन संख्या 74 से 88 तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.79 किलोमीटर से 1.35 किलोमीटर तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0 किलोमीटर से 1.35 किलोमीटर तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ उत्तरी दिशा में स्टेशन संख्या 88 से 89 तक जाती है और इसके बाद पश्चिमी दिशा में आर.एफ. सीमा और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ स्टेशन संख्या 89 से 90 तक जाती है और इसके बाद दक्षिणी दिशा में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से लगभग 0 किलोमीटर से 0.480 किलोमीटर तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 90 से 91 तक जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से आर.एफ. सीमा के साथ लगभग 0.480 किलोमीटर (480मीटर) से 1.1 किलोमीटर तक की दूरी में स्टेशन संख्या 91 से 95 तक दक्षिणी दिशा में जाती है। अलवरथिरथम (कपिलाथिरथम) मंदिर स्टेशन संख्या 91 और 92 के बीच में है। इसके बाद सीमा गलीगोपुरम के निकट आर.एफ. सीमा के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.10 किलोमीटर (100मीटर) से 1.1 किलोमीटर तक की दूरी में स्टेशन संख्या 95 से 98 तक उत्तर-पश्चिमी दिशा में जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर (100मीटर) तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 98 से 102 तक पूर्वी दिशा में जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर (100 मीटर) की दूरी में आर एफ सीमा के साथ उत्तरी दिशा में स्टेशन संख्या 102 से 103 तक जाती है। इसके बाद यह श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर (100 मीटर) तक की दूरी में आर. एफ. सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में स्टेशन संख्या 103 से 112 तक जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर (100 मीटर) से 0.9 किलोमीटर तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 112 से 114 तक पश्चिमी दिशा में जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.2 किलोमीटर से 0.5 किलोमीटर तक की दूरी में दक्षिण-पश्चिमी दिशा में स्टेशन संख्या 114 से 115 तक जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन आर.एफ. सीमा के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.7 किलोमीटर तक की दूरी में दक्षिणी दिशा में स्टेशन संख्या 115 से 116 तक जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी में पश्चिमी दिशा में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 116 से 130 तक जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी में दक्षिण-पश्चिमी दिशा स्टेशन संख्या 130 से 134 तक जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.7 किलोमीटर से 3.0 किलोमीटर तक की दूरी में उत्तर-पश्चिमी दिशा में स्टेशन संख्या 134 से 138 तक जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से होते हुए 0.05 किलोमीटर (50मीटर) तक की दूरी में उत्तरी दिशा में स्टेशन संख्या 138 से 139 तक जाती है। इसके बाद स्टेशन संख्या 139 से 141 तक, यह श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से होते हुए 0.05 किलोमीटर (50मीटर) से 1.3 किलोमीटर तक दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद स्टेशन संख्या 141 से 176 तक श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की दूरी में पश्चिमी दिशा में जाती है। तिरुमाला ग्राम श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) क्षेत्र) अलग है। तिरुमाला ग्राम के चारों ओर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम क्षेत्र की ओर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम सीमा से 0.1 किलोमीटर (100मीटर) में जाती है। इसके अतिरिक्त कही भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम क्षेत्र टीटीडी क्षेत्र की ओर श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर (100मीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन होते हुए राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य क्षेत्र से सटा है।
पश्चिम	पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 1 से 10 किलोमीटर तक की दूरी में आर.एफ. सीमा के साथ स्टेशन संख्या 176 से स्टेशन संख्या 231 तक जाती है। इसके बाद सीमा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 2.2 से 6 किलोमीटर तक की दूरी में राजमपेट (वन्यजीव) संभाग के कोदुर श्रेणी में सेशाचलम आर एफ से होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा में स्टेशन संख्या 231 से स्टेशन संख्या 1 जो कि आरंभिक विंदु तक जाती है।

उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दर्शाया गया मानचित्र

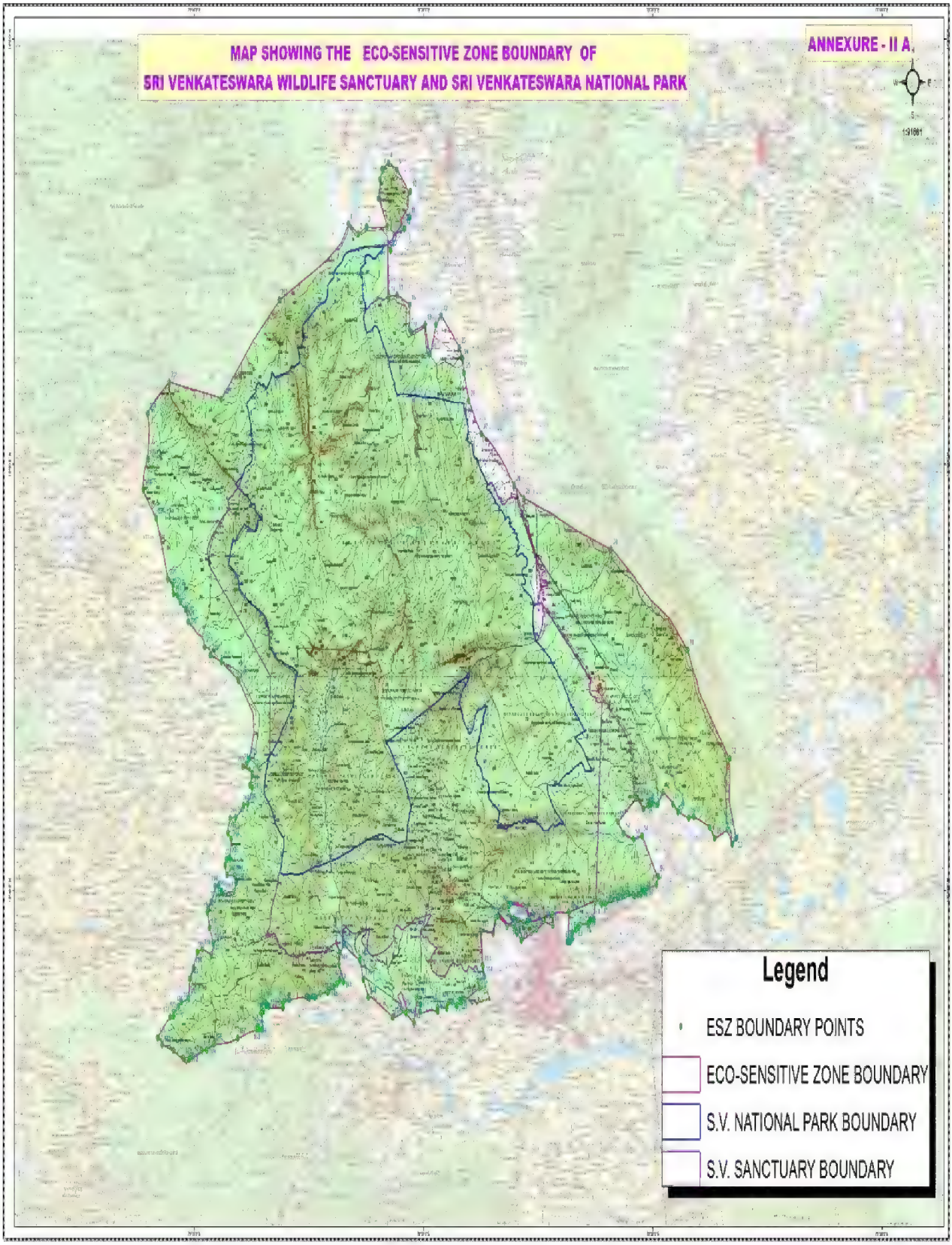

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

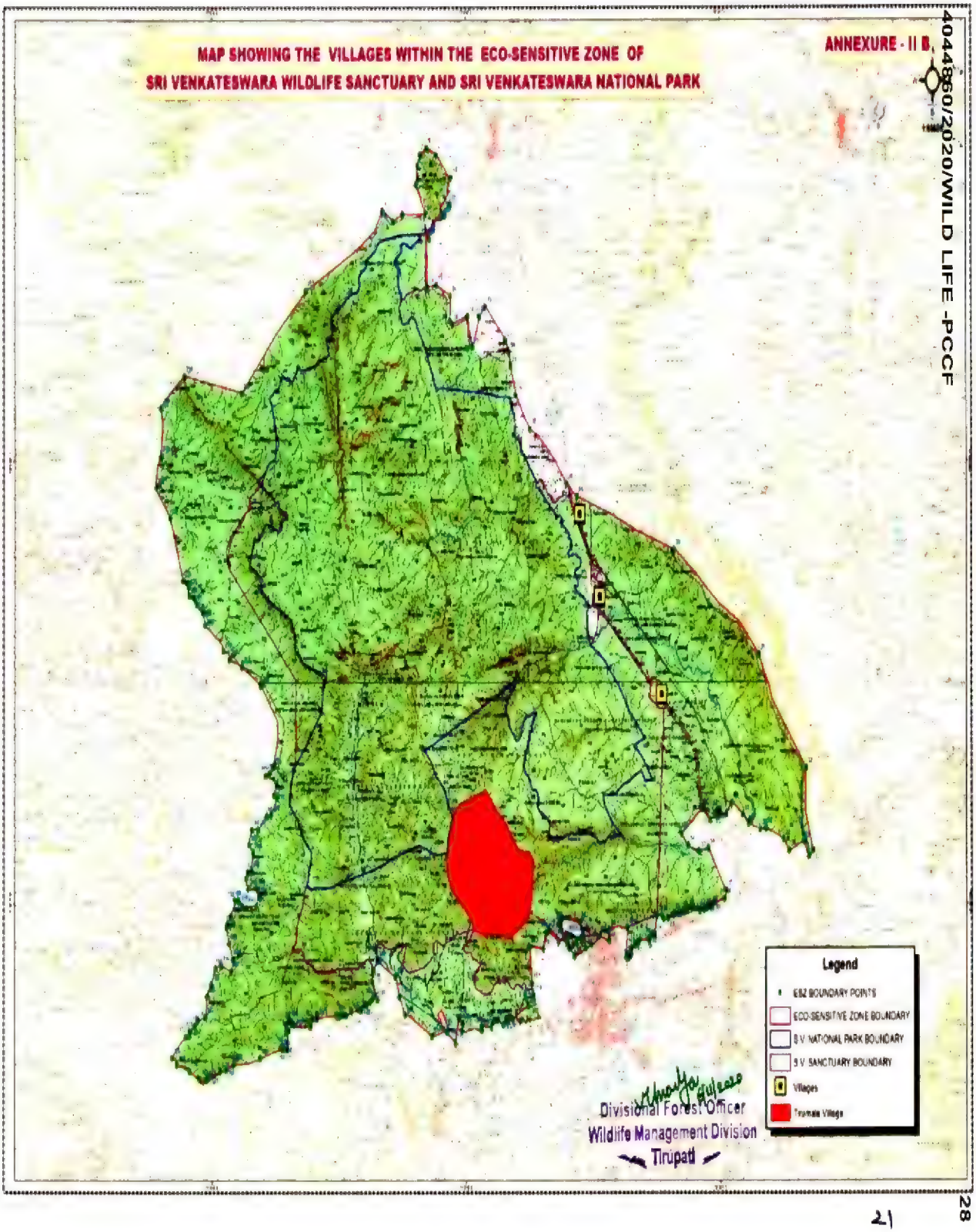

उपाबंध-III

सारणी क : श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	13.89870	79.26309
2	13.91096	79.27127
3	13.91912	79.30723
4	13.89935	79.30730
5	13.89378	79.29089
6	13.88504	79.29246
7	13.88748	79.29850
8	13.86048	79.31449
9	13.85731	79.36214
10	13.84230	79.36595
11	13.82539	79.37967
12	13.81845	79.40179
13	13.79163	79.42183
14	13.76381	79.41538
15	13.77795	79.42021
16	13.74833	79.45488
17	13.73984	79.46311
18	13.66220	79.45864
19	13.65427	79.41069
20	13.65309	79.39772
21	13.65056	79.37547
22	13.63423	79.37592
23	13.64368	79.34312
24	13.65648	79.33860
25	13.65215	79.31311

स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
26	13.65103	79.29416
27	13.65033	79.27521
28	13.64477	79.27037
29	13.64046	79.23928
30	13.64952	79.22479
31	13.64867	79.21931
32	13.67150	79.22742
33	13.68679	79.23155
34	13.70293	79.21868
35	13.71762	79.22068
36	13.74966	79.22207
37	13.77530	79.19638
38	13.79482	79.17748
39	13.81563	79.19222
40	13.83487	79.20834
41	13.84187	79.20914
42	13.85647	79.20498
43	13.86207	79.21136
44	13.86525	79.21344
45	13.86305	79.21900
46	13.86921	79.22334
47	13.86753	79.22603
48	13.87030	79.23631
49	13.87370	79.24316
50	13.88062	79.24512

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)		स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	13.92773	79.27882		51	13.69320	79.47475
2	13.92374	79.28580		52	13.68886	79.47896
3	13.92655	79.29193		53	13.68650	79.48613
4	13.92656	79.30686		54	13.68780	79.49214
5	13.93754	79.30069		55	13.67180	79.50393
6	13.94506	79.30169		56	13.66855	79.50280
7	13.94925	79.30327		57	13.66730	79.49610
8	13.95170	79.30800		58	13.66593	79.49415
9	13.94890	79.31407		59	13.66489	79.49156
10	13.94039	79.32372		60	13.66485	79.48967

11	13.93012	79.32310		61	13.66425	79.48669
12	13.92583	79.31950		62	13.66459	79.48580
13	13.91731	79.30937		63	13.66507	79.48210
14	13.89908	79.30822		64	13.66536	79.48107
15	13.89975	79.31403		65	13.66508	79.47863
16	13.89580	79.32319		66	13.66418	79.47562
17	13.88657	79.32289		67	13.66369	79.47454
18	13.88523	79.32445		68	13.66324	79.47031
19	13.88821	79.33465		69	13.66281	79.46917
20	13.87659	79.33793		70	13.66110	79.46560
21	13.88813	79.34232		71	13.66080	79.46290
22	13.89163	79.34634		72	13.66210	79.46160
23	13.87905	79.35945		73	13.66207	79.45840
24	13.87466	79.36161		74	13.65500	79.45706
25	13.86922	79.36272		75	13.65492	79.45484
26	13.85832	79.36624		76	13.65395	79.45390
27	13.84531	79.37556		77	13.65356	79.45390
28	13.82494	79.39939		78	13.65364	79.45316
29	13.82002	79.40624		79	13.65321	79.45308
30	13.80001	79.46982		80	13.65286	79.44704
31	13.76059	79.52543		81	13.65176	79.44622
32	13.71801	79.55609		82	13.65176	79.44528
33	13.68675	79.56062		83	13.65091	79.44435
34	13.68444	79.55790		84	13.64989	79.44165
35	13.69015	79.55423		85	13.64759	79.44130
36	13.68668	79.54512		86	13.64615	79.43986
37	13.69103	79.54131		87	13.64611	79.43869
38	13.69511	79.52989		88	13.64669	79.43838
39	13.69470	79.52615		89	13.65762	79.43896
40	13.69708	79.51867		90	13.65688	79.42718
41	13.70028	79.51466		91	13.65270	79.42722
42	13.70477	79.50753		92	13.65442	79.42055
43	13.70012	79.50374		93	13.65146	79.41555
44	13.70143	79.49950		94	13.64983	79.41173
45	13.70014	79.49909		95	13.64672	79.40449
46	13.70004	79.49861		96	13.64958	79.40125
47	13.70174	79.49815		97	13.65205	79.39955
48	13.69989	79.49691		98	13.65534	79.39898
49	13.69842	79.49343		99	13.65492	79.40217
50	13.70243	79.48801		100	13.65376	79.40587

स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)		]स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
101	13.65415	79.40861		151	13.62466	79.24869
102	13.65487	79.40997		152	13.62355	79.23541
103	13.65971	79.40770		153	13.62278	79.23191
104	13.66122	79.39639		154	13.62039	79.23110
105	13.66035	79.39510		155	13.62103	79.22060
106	13.65843	79.39540		156	13.62137	79.21897
107	13.65282	79.39876		157	13.62205	79.21872
108	13.65228	79.39404		158	13.62274	79.21731
109	13.65613	79.38705		159	13.62090	79.21517
110	13.65578	79.38606		160	13.61876	79.21705
111	13.64966	79.38406		161	13.61830	79.21573
112	13.65018	79.37504		162	13.61185	79.21603
113	13.63679	79.37658		163	13.61181	79.21364
114	13.63252	79.37756		164	13.61292	79.21334
115	13.63086	79.37292		165	13.61292	79.21240
116	13.62809	79.37398		166	13.61193	79.21227
117	13.62352	79.36388		167	13.60830	79.19822
118	13.62399	79.36156		168	13.60631	79.18095
119	13.62310	79.36109		169	13.60392	79.17587
120	13.62259	79.36010		170	13.60358	79.17200
121	13.62328	79.35948		171	13.60141	79.16549
122	13.62120	79.35761		172	13.60038	79.16333
123	13.62261	79.35390		173	13.60055	79.15865
124	13.62254	79.35158		174	13.60352	79.15158
125	13.62012	79.35017		175	13.60574	79.14336
126	13.62071	79.34355		176	13.60865	79.14006
127	13.61897	79.34338		177	13.61664	79.14907
128	13.61897	79.33063		178	13.61709	79.15146
129	13.62163	79.33121		179	13.61858	79.15158
130	13.62360	79.32830		180	13.62082	79.15510
131	13.61430	79.32640		181	13.62260	79.15715
132	13.61820	79.32060		182	13.62389	79.16238
133	13.61920	79.31860		183	13.63183	79.16332
134	13.61670	79.31090		184	13.63609	79.16607
135	13.62460	79.29320		185	13.64226	79.16882
136	13.63148	79.28957		186	13.64319	79.17259
137	13.63901	79.28691		187	13.64115	79.17912
138	13.64526	79.27527		188	13.64572	79.18032
139	13.64184	79.27243		189	13.65163	79.17765

140	13.63738	79.27185		190	13.65771	79.17619
141	13.63061	79.27509		191	13.65909	79.17668
142	13.63130	79.27231		192	13.66201	79.17912
143	13.62980	79.27058		193	13.66796	79.18183
144	13.62851	79.26821		194	13.66810	79.18418
145	13.62730	79.26483		195	13.66610	79.18644
146	13.62623	79.26376		196	13.66543	79.18911
147	13.62603	79.25819		197	13.66592	79.19563
148	13.62444	79.25428		198	13.66943	79.19714
149	13.62470	79.25283		199	13.67214	79.19603
150	13.62402	79.25035		200	13.67227	79.19039

स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)		स्टेशन सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
201	13.67617	79.18906		218	13.75874	79.17837
202	13.67857	79.19026		219	13.76182	79.17404
203	13.67933	79.19244		220	13.77184	79.16220
204	13.68638	79.19346		221	13.77662	79.16061
205	13.68896	79.19101		222	13.77946	79.15662
206	13.69486	79.19275		223	13.78208	79.15446
207	13.69504	79.19679		224	13.78277	79.15150
208	13.69979	79.20264		225	13.78618	79.15116
209	13.70019	79.20535		226	13.78835	79.14751
210	13.70680	79.20881		227	13.81226	79.13886
211	13.70756	79.20726		228	13.82342	79.12952
212	13.71217	79.20864		229	13.83537	79.13294
213	13.71497	79.20193		230	13.85336	79.13271
214	13.71590	79.20455		231	13.86554	79.14854
215	13.71790	79.20637		232	13.85905	79.18623
216	13.74865	79.19870		233	13.89779	79.22847
217	13.75598	79.18638				

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	मंडल का नाम	जिला का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	ममांदुर	रेनीगुंता	चित्तूर	13.74680	79.46360
2.	कुक्कालाडोड्डी	रेनीगुंता	चित्तूर	13.78160	79.42330
3.	बालापल्ली	कोदुर	कडपा	13.81160	79.40706

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2409(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 377(E), dated the 22nd January, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd January, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary located in Chittoor and Cuddapah Districts of Andhra Pradesh includes the holy and sacred seven hills, the abode of Lord Venkateswara. The reserved forest of the sanctuary forming part of Eastern Ghats consist unique fauna and flora. The highly endangered flora like *Cycas beddomei* and highly priced endemic species like *Pterocarpus santalinus* grows luxuriantly. The entire Sanctuary is a uninhabited large chunk of dry deciduous red sanders bearing forests forming catchment to Swarnamukhi and Penna rivers both in Chittoor and Cuddapah Districts;

AND WHEREAS, wildlife belongs to Schedule I, II, III and IV are occur in the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary. The forests of the reserve harbour certain endangered animals like, mouse deer (*Chevrotain*), Indian giant squirrel (*Ratufa indica*), slender loris (*Loris tardigradus*), golden gecko (*Gekko badenii*), leopard (*Panthera pardus*), tiger (*Panthera tigris*), elephant (*Elephas maximus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), wild boar (*Sus scrofa*), four-horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), spotted deer (*Axis axis*), sambar deer (*Rusa unicolor*), Bonnet macaque (*Macaca radiata*), mongoose (*Herpestidae*), wild dog (*Lycaon pictus*), black buck (*Antilope cervicapra*), jackal (*Canis aureus*), fox (*Vulpes vulpes*), civet cat (*Paradoxurus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), jungle cat (*Felis chaus*) are some of other animals commonly found in this area. Pangolins, pythons, pea fowls, grey jungle fowl, partridges, quail, crested serpent eagle, ashy crowned finch lark, Indian roller, kingfishers and white bellied woodpecker etc., are also found in Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary. It is estimated that 215 species of birds are reported in Seshachalam Forests. Yellow throated bulbul, an endangered bird species is found to exist in the forests of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Kalyani, Kumaradhara, Pasupudhara and Papavinasanam dams, the prime drinking water resources of Tirumala and Tirupati townships are present within Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary and are also source of drinking water to wild animals during pinch period. Besides these, Rallavagu, Lothuvanka, Malleru, Thumburutheerthamvanka, Talakonavanka and Gunjana which are the tributaries of Swarnamukhi and Penna originates and drains through this Sanctuary. The core area with high hillock sand deep valleys and with natural springs consists of thick forests, with vivid flora and fauna. The area also consists of natural grass lands;

AND WHEREAS, to protect and improve the rare, endemic, endangered flora and fauna of the area, Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary was declared vide G.O.Ms. No. 354 F & RD (For-III) Department, dated 2nd September, 1985 and the core area of the sanctuary was declared as a National Park during 1989 vide G. O. Ms. No. 383 E.F.S & T (For-III) Department, dated 16th October, 1989. Final notification of Sri Venkateswara National Park was issued *vide* G. O. MS. No. 58 E.F. S&T (For-III) Department, dated 13th May, 1998 under section 35 of Wildlife (Protection) Act, 1972 . The area was finally notified as Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary *vide* G.O. Ms.No.59 Environment Forestry Science & Technology (For-III) dated 13th May, 1998. Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary comprises of 525.97 square kilometres area and spread over Chittoor District and Cuddapah District. Sri Venkateswara National Park comprises of an area of 353.63 square kilometres and is located within Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary has various rare and endemic flora species, such as *Dalbergia latifolia, Cochlospermum religiosum, Dillenia indica, Hybanthus enneaspermus, Maba buxifolia, Curcuma domestica* etc. Some endangered plant species of the Sanctuary include *Homalium zeylanicum, Butea monosperma, Rhynchosia heynei* and *Tephrosia* species. The endemic species found in the sanctuary include *Pterocarpus santalinus, Santalum album, Boswellia ovalifoliolata, Pimpinella tirupatiensis, Syzygium alternifolium* and *Terminalia pallid* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero (due to developed Tirupathi township at southern side) to 10 kilometres around the boundary of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary, in Chittoor District and Cuddapah Districts in the State of Andhra Pradesh as the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero (due to developed Tirupathi township at southern side) to 10 kilometres around the boundary of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 448 square kilometres.

   (2) The boundary description of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Andhra Pradesh State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.–** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the

Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as

(1)	(2)	(3)
		applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

(1)	(2)	(3)
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

(i)	Concerned District Collector	Chairman, ex officio;
(ii)	Municipal Commissioner, Tirupati	Member;
(iii)	Regional Officer, Andhra Pradesh State Pollution Control Board, Tirupati	Member;
(iv)	A representative from State Public Works Department, Tirupati	Member;
(v)	A representative of Non-Government Organization working in the field of Wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(vi)	An Expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	An Expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Tirumala Tirupati Devasthanams Tirupati	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Tirupati	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SRI VENKATESWARA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE ANDHRA PRADESH

North	From station No. 1 Eco-Sensitive Zone boundary runs towards east at a distance of 0.60 to 1.18 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary boundary upto station No. 4 then runs in northern direction up to station No. 8 at distance of 1.18 to 3.64 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then the boundary runs outside the RF Boundary from station No. 8 to 13 in eastern direction at a distance of 3.60 to 0.2 Kilometerss from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary boundary.
East	Then the boundary runs towards south from station No. 13 to 14 at a distance of 100 to 200 meters from the Sanctuary boundary as well as RF Boundary. Then the boundary runs in southern direction from station No. 14 to 26 at a distance of 0.2 Kilometers away from R.F. Boundary at a distance of 0.2 to 4.7 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco-sensitive Zone boundary from Station No. 26 to 28 runs in Southern direction at a distance of 0.3 Kilometers to 1.6 Kilometers away from the R.F. Boundary and at a distance of 0.30 to 1.6 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco-sensitive Zone boundary from station No. 29 to 33 runs in southern direction along R.F. Boundary at a distance of 0.5 Kilometers to 10 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary.
South	Then the Eco-sensitive Zone boundary runs from station No. 33 to 51 along R.F. Boundary in western direction at a distance of 3 to 10 kilometers from boundary, and further runs from station No. 51 to 56 in Southern direction along R.F. Boundary at a distance of 1.5 to 4.8 Kilometers from the Sanctuary boundary. Then the boundary runs in western direction from Station No. 56 to 71 along R.F. Boundary which is abutting Revenue boundary at Karakambadi Village and Chennaiahgunta village at a distance variying from 0.55 Kilometers to 4.8 Kilometers to from the S.V. Wildlife Sanctuary boundary at the above villages. Then the Eco Sensitive Zone boundary runs from station No. 71 to 72 along RF Boundary in North-West direction at 0.340 Kilometers (340meters) distance from S.V. Wildlife Sanctuary boundary. Then station No. 72 and station No. 73 runs in Western direction at 0.05 Kilometers (50meters) from the Sanctuary boundary. Then the boundary runs from station No. 73 to 74 runs in Southern direction along the R.F. Boundary at a distance of 0.05Kilometers (50meters) to 0.790 Kilometers (790 meters) from S.V. Wildlife Sanctuary boundary and from station No. 74 to 88 Eco-Sensitive Zone runs in South-West direction along the R.F. Boundary at a distance of 0.79 Kilometers to 1.35 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary boundary. Then the boundary runs from station No. 88 to 89 in Northern direction along the R.F. Boundary at a distance of 0 Kilometers to 1.35 Kilometers from the Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary and then from station No. 89 to 90 along the R.F. Boundary and Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary in western direction and then from station No. 90 to 91 along the R.F. Boundary at a distance of about 0 Kilometers to 0.480Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary boundary in Southern direction. Then the boundary runs in southern direction from station 91 to 95 at a distance of about 0.480 Kilometers (480meters) to 1.1 Kilometers along the R.F. Boundary from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Alwartheertham (Kapilatheertham) Temple falls between station No. 91and 92. Then the boundary runs in North-Western direction from station No. 95 to 98 at a distance of 0.10 Kilometers (100meters) to 1.1 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary boundary along the R.F. Boundary near Galigopuram. Then the Eco Sensitive zone runs in Eastern direction from station No. 98 to 102 along the RF Boundary at a distance of 0.1 Kilometers (100meters) from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs from station No. 102 to 103 in Northern direction along the R.F. Boundary at a distance of 0.1Kilometers (100 meters) from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then it runs from station No. 103 to 112 in western direction along the R.F. Boundary at a distance of 0.1Kilometers (100 meters) from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs in western direction from station 112 to 114 along the R.F. Boundary at a distance of 0.1Kilometers (100 meters) to 0.9 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs from station No. 114 to 115 in South-Western direction at a distance of 0.2 Kilometers to 0.5 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs from station No. 115 to 116 in Southern direction at a distance of 0.7 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary along the R.F. Boundary. Further Eco Sensitive zone line runs from 116 to 130

	along the R.F. Boundary in western direction at distance of 1.5 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary boundary. Then the boundary runs from station No. 130 to 134 in South-Western direction at a distance of 0.9 Kilometers to 1.5 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs from Station No. 134 to 138 in North-Western direction at a distance 0.7 Kilometers to 3.0 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then the Eco Sensitive zone runs from station No. 138 to 139 in Northern direction at a distance 0.05Kilometers (50meters) away from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then from station No. 139 to 141, it runs in Southern direction 0.05 Kilometers (50meters) to 1.3 Kilometers away from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Then from station No. 141 to 176 in Western direction runs at a distance of 0.5 Kilometers to 10 Kilometers from S.V. Wildlife Sanctuary Boundary. Tirumala Village (Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) Area) is excluded fromEco sensitive zone of Sri Venakteshawra Wildlife Sanctuary. Around Tirumala village, the Eco-Sensitive Zone runs at 0.1Kilometers (100meters) from Tirumala Tirupati Devasthanams boundary towards Tirumala Tirupati Devasthanams area. Further wherever Tirumala Tirupati Devasthanams area abuts the National Park / Sanctuary area Eco-Sensitive Zone runs at 0.1 Kilometers (100meters) from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary towards TTD area.
West	In the western side, the Eco-sensitive zone from station No. 176 to station No. 231 runs along the R.F. Boundary at a distance of 1 to 10 Kilometers from Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary Boundary. Then boundary from station No. 231 to station no. 1 i.e., starting point runs in North -East direction passing through the Seshachalam RF in Kodur Range of Rajampet (WL) Division at a distance of 2.2 to 6 Kilometers from the S.V. Wildlife Sanctuary Boundary.

ANNEXURE- IIA

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

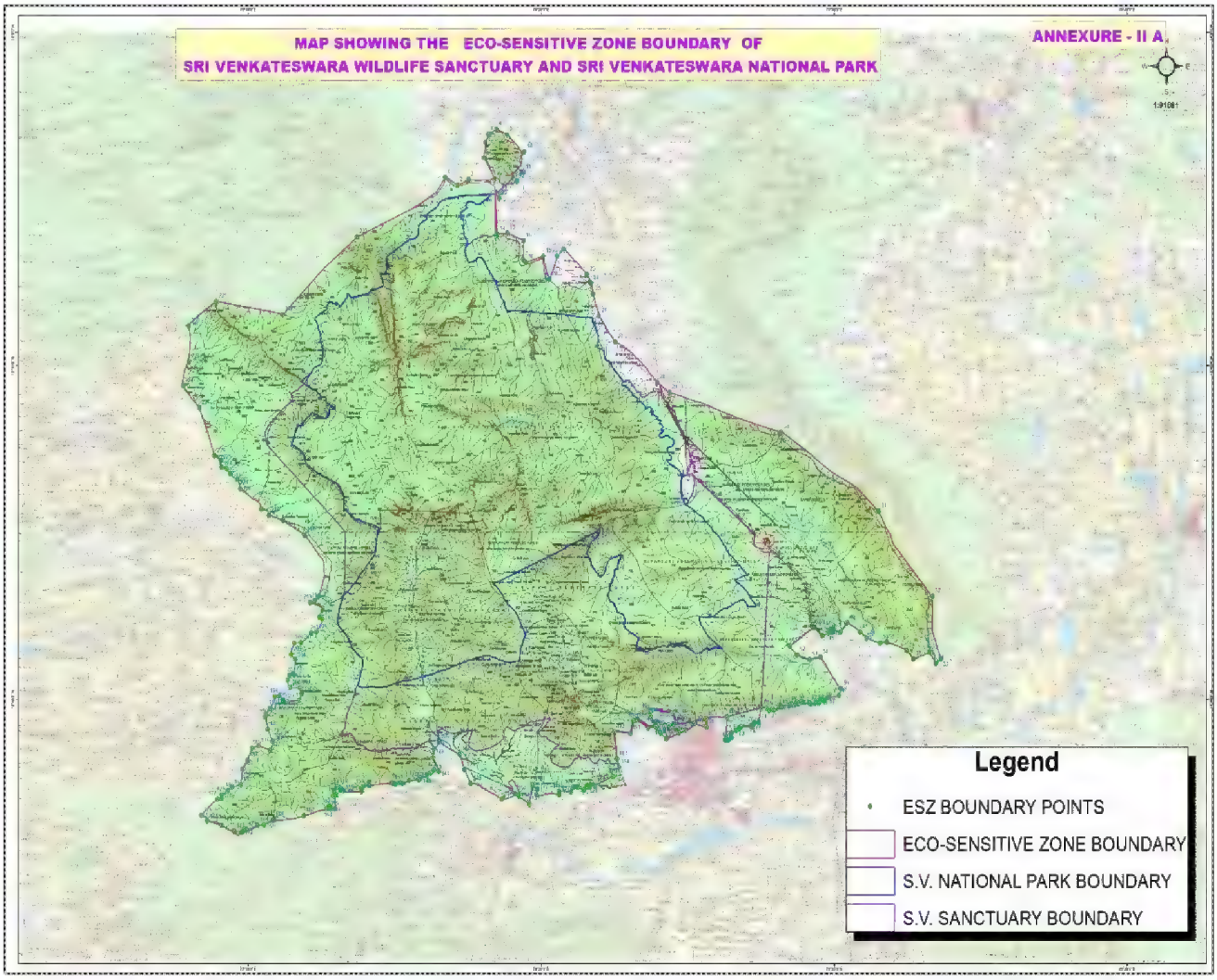

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SRI VENKATESWARA WILDLIFE SANCTUARY

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
1	13.89870	79.26309
2	13.91096	79.27127
3	13.91912	79.30723
4	13.89935	79.30730
5	13.89378	79.29089
6	13.88504	79.29246
7	13.88748	79.29850
8	13.86048	79.31449
9	13.85731	79.36214

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
26	13.65103	79.29416
27	13.65033	79.27521
28	13.64477	79.27037
29	13.64046	79.23928
30	13.64952	79.22479
31	13.64867	79.21931
32	13.67150	79.22742
33	13.68679	79.23155
34	13.70293	79.21868

10	13.84230	79.36595
11	13.82539	79.37967
12	13.81845	79.40179
13	13.79163	79.42183
14	13.76381	79.41538
15	13.77795	79.42021
16	13.74833	79.45488
17	13.73984	79.46311
18	13.66220	79.45864
19	13.65427	79.41069
20	13.65309	79.39772
21	13.65056	79.37547
22	13.63423	79.37592
23	13.64368	79.34312
24	13.65648	79.33860
25	13.65215	79.31311

35	13.71762	79.22068
36	13.74966	79.22207
37	13.77530	79.19638
38	13.79482	79.17748
39	13.81563	79.19222
40	13.83487	79.20834
41	13.84187	79.20914
42	13.85647	79.20498
43	13.86207	79.21136
44	13.86525	79.21344
45	13.86305	79.21900
46	13.86921	79.22334
47	13.86753	79.22603
48	13.87030	79.23631
49	13.87370	79.24316
50	13.88062	79.24512

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Station No.	LAT (N)	LONG (E)		Station No.	LAT (N)	LONG (E)
1	13.92773	79.27882		51	13.69320	79.47475
2	13.92374	79.28580		52	13.68886	79.47896
3	13.92655	79.29193		53	13.68650	79.48613
4	13.92656	79.30686		54	13.68780	79.49214
5	13.93754	79.30069		55	13.67180	79.50393
6	13.94506	79.30169		56	13.66855	79.50280
7	13.94925	79.30327		57	13.66730	79.49610
8	13.95170	79.30800		58	13.66593	79.49415
9	13.94890	79.31407		59	13.66489	79.49156
10	13.94039	79.32372		60	13.66485	79.48967
11	13.93012	79.32310		61	13.66425	79.48669
12	13.92583	79.31950		62	13.66459	79.48580
13	13.91731	79.30937		63	13.66507	79.48210
14	13.89908	79.30822		64	13.66536	79.48107
15	13.89975	79.31403		65	13.66508	79.47863
16	13.89580	79.32319		66	13.66418	79.47562
17	13.88657	79.32289		67	13.66369	79.47454
18	13.88523	79.32445		68	13.66324	79.47031
19	13.88821	79.33465		69	13.66281	79.46917
20	13.87659	79.33793		70	13.66110	79.46560
21	13.88813	79.34232		71	13.66080	79.46290
22	13.89163	79.34634		72	13.66210	79.46160

23	13.87905	79.35945		73	13.66207	79.45840
24	13.87466	79.36161		74	13.65500	79.45706
25	13.86922	79.36272		75	13.65492	79.45484
26	13.85832	79.36624		76	13.65395	79.45390
27	13.84531	79.37556		77	13.65356	79.45390
28	13.82494	79.39939		78	13.65364	79.45316
29	13.82002	79.40624		79	13.65321	79.45308
30	13.80001	79.46982		80	13.65286	79.44704
31	13.76059	79.52543		81	13.65176	79.44622
32	13.71801	79.55609		82	13.65176	79.44528
33	13.68675	79.56062		83	13.65091	79.44435
34	13.68444	79.55790		84	13.64989	79.44165
35	13.69015	79.55423		85	13.64759	79.44130
36	13.68668	79.54512		86	13.64615	79.43986
37	13.69103	79.54131		87	13.64611	79.43869
38	13.69511	79.52989		88	13.64669	79.43838
39	13.69470	79.52615		89	13.65762	79.43896
40	13.69708	79.51867		90	13.65688	79.42718
41	13.70028	79.51466		91	13.65270	79.42722
42	13.70477	79.50753		92	13.65442	79.42055
43	13.70012	79.50374		93	13.65146	79.41555
44	13.70143	79.49950		94	13.64983	79.41173
45	13.70014	79.49909		95	13.64672	79.40449
46	13.70004	79.49861		96	13.64958	79.40125
47	13.70174	79.49815		97	13.65205	79.39955
48	13.69989	79.49691		98	13.65534	79.39898
49	13.69842	79.49343		99	13.65492	79.40217
50	13.70243	79.48801		100	13.65376	79.40587

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
101	13.65415	79.40861
102	13.65487	79.40997
103	13.65971	79.40770
104	13.66122	79.39639
105	13.66035	79.39510
106	13.65843	79.39540
107	13.65282	79.39876
108	13.65228	79.39404
109	13.65613	79.38705
110	13.65578	79.38606
111	13.64966	79.38406

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
151	13.62466	79.24869
152	13.62355	79.23541
153	13.62278	79.23191
154	13.62039	79.23110
155	13.62103	79.22060
156	13.62137	79.21897
157	13.62205	79.21872
158	13.62274	79.21731
159	13.62090	79.21517
160	13.61876	79.21705
161	13.61830	79.21573

112	13.65018	79.37504		162	13.61185	79.21603
113	13.63679	79.37658		163	13.61181	79.21364
114	13.63252	79.37756		164	13.61292	79.21334
115	13.63086	79.37292		165	13.61292	79.21240
116	13.62809	79.37398		166	13.61193	79.21227
117	13.62352	79.36388		167	13.60830	79.19822
118	13.62399	79.36156		168	13.60631	79.18095
119	13.62310	79.36109		169	13.60392	79.17587
120	13.62259	79.36010		170	13.60358	79.17200
121	13.62328	79.35948		171	13.60141	79.16549
122	13.62120	79.35761		172	13.60038	79.16333
123	13.62261	79.35390		173	13.60055	79.15865
124	13.62254	79.35158		174	13.60352	79.15158
125	13.62012	79.35017		175	13.60574	79.14336
126	13.62071	79.34355		176	13.60865	79.14006
127	13.61897	79.34338		177	13.61664	79.14907
128	13.61897	79.33063		178	13.61709	79.15146
129	13.62163	79.33121		179	13.61858	79.15158
130	13.62360	79.32830		180	13.62082	79.15510
131	13.61430	79.32640		181	13.62260	79.15715
132	13.61820	79.32060		182	13.62389	79.16238
133	13.61920	79.31860		183	13.63183	79.16332
134	13.61670	79.31090		184	13.63609	79.16607
135	13.62460	79.29320		185	13.64226	79.16882
136	13.63148	79.28957		186	13.64319	79.17259
137	13.63901	79.28691		187	13.64115	79.17912
138	13.64526	79.27527		188	13.64572	79.18032
139	13.64184	79.27243		189	13.65163	79.17765
140	13.63738	79.27185		190	13.65771	79.17619
141	13.63061	79.27509		191	13.65909	79.17668
142	13.63130	79.27231		192	13.66201	79.17912
143	13.62980	79.27058		193	13.66796	79.18183
144	13.62851	79.26821		194	13.66810	79.18418
145	13.62730	79.26483		195	13.66610	79.18644
146	13.62623	79.26376		196	13.66543	79.18911
147	13.62603	79.25819		197	13.66592	79.19563
148	13.62444	79.25428		198	13.66943	79.19714
149	13.62470	79.25283		199	13.67214	79.19603
150	13.62402	79.25035		200	13.67227	79.19039

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
201	13.67617	79.18906
202	13.67857	79.19026
203	13.67933	79.19244
204	13.68638	79.19346
205	13.68896	79.19101
206	13.69486	79.19275
207	13.69504	79.19679
208	13.69979	79.20264
209	13.70019	79.20535
210	13.70680	79.20881
211	13.70756	79.20726
212	13.71217	79.20864
213	13.71497	79.20193
214	13.71590	79.20455
215	13.71790	79.20637
216	13.74865	79.19870
217	13.75598	79.18638

Station No.	LAT (N)	LONG (E)
218	13.75874	79.17837
219	13.76182	79.17404
220	13.77184	79.16220
221	13.77662	79.16061
222	13.77946	79.15662
223	13.78208	79.15446
224	13.78277	79.15150
225	13.78618	79.15116
226	13.78835	79.14751
227	13.81226	79.13886
228	13.82342	79.12952
229	13.83537	79.13294
230	13.85336	79.13271
231	13.86554	79.14854
232	13.85905	79.18623
233	13.89779	79.22847

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Name of the village	Name of the Mandal	Name of the District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Mamandur	Renigunta	Chittoor	13.74680	79.46360
2	Kukkaladoddi	Renigunta	Chittoor	13.78160	79.42330
3.	Balapalli	Kodur	Kadapa	13.81160	79.40706

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.19 18:58:18 +05'30'